

# सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना—पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में सूक्ष्म टिप्पणी

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी	—नगर आयुक्त	श्री इन्द्रविक्रम सिंह फोन: 0562—2850670
2. जन सूचना अधिकारी	—अपर नगर आयुक्त	श्री राम सिंह गौतम मोबाइल: 7300470602
3. सहायक जन सूचना अधिकारी	— उप नगरआयुक्त	श्री अनिल कुमार मोबाइल: 8430457844
4. सूचना अधिकारी		श्री राहुल कुमार
5. सूचना अधिकारी के अन्तर्गत अपील लिपिक		श्री संजीव चौहान

सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना—पत्रों के साथ आवेदन द्वारा अंकेन 10/- शुल्क के रूप में नकद या बैंक, ड्राफ्ट या बैंकर्स या पोस्टल ॲडर या लेखा शीर्षक—0070, अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60 अन्य सेवायें, 800 अन्य प्राप्तियों, 11 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रिया स्थल से प्राप्त शुल्क में जमा कर अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है। प्रार्थना पत्र सम्बन्धित विभाग के सूचना प्राप्त करना है भेजा जाता है। सूचना भेजने की निर्धारित अवधि माह सामान्य रूप से होती है तथा जहाँ चाही गई सूचना का सम्बन्ध किसी व्यक्ति के प्राण या स्वतंत्रता से सम्बन्धित है वहाँ आवेदन प्राप्ति से 48 घंटे के अन्दर सूचना उपलब्ध करना होता है।

यदि सूचना नगर निगम, आगरा से भिन्न विभागों से सम्बन्धित है तो आवेदन—पत्र सम्बन्धित विभाग को 05 दिन के अन्दर भेजा जाना अनिवार्य है।

तैयार सूचना में आवेदक से 2/- रूपये प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क जमा कराया जाता है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

## शिकायत / अपील

1. यदि आवेदनकर्ता को जनसूचना अधिकारी से किन्हीं आधारों पर जानकरी देने से इन्कार किया जाता है या 30 दिन की निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आवेदनकर्ता विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी से जनसूचना अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है।
2. यदि वह विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय से असन्तुष्ट है या उसकी ओर से उसे कोई उत्तर नहीं मिलता है तो आवेदनकर्ता राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपनी अपील दायर कर सकता है।

आगरा नगर निगम का बेबसाइट एड्रेस—

[www.nagarnigamagra.com](http://www.nagarnigamagra.com)

